



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928
शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या-I/35066/2025-IR-17 comp no.1129 दिनांक 20-12-2025

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल,
विद्युत वितरण निगम लि० एवं केस्को,
लखनऊ/वाराणसी /आगरा/मेरठ एवं कानपुर।

विषय:- शिशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत शिशिक्षुओं को वृत्तिका (stipend) दिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के पत्र संख्या-3036-औ०सं०/2022-04(06)अप्र०/78 दिनांक 06.08.2022 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शिक्षुता नियम-1992 के नियमों (यथा संशोधित) का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

इस सम्बन्ध में उप शिक्षुता परामर्शदाता एवं प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ के पत्र संख्या-शिशिक्षु/प्रशिक्षण/संशोधित मानदेय/2025/2609 लखनऊ दिनांक 09.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं०-566 दिनांक 08.09.2025 द्वारा शिशिक्षुओं को भुगतान किये जाने वाले मानदेय की दरों को निम्नानुसार संशोधित कर दिया गया है-

क्र० सं०	व्यवसाय	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण अवधि में छूट	प्रशिक्षण अवधि में छूट के उपरान्त प्रशिक्षण अवधि	छूट के उपरान्त भुगतान किये जाने वाला मानदेय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Electrician	Two Years	One Year	One Year	$9600 + 9600 \times 10\% = 10560$
2.	Lineman	Two Years	One Year	One Year	$9600 + 9600 \times 10\% = 10560$

अतः उक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं०-566 दिनांक 08.09.2025 एवं शिक्षुता नियम-1992

(यथा संशोधित) के प्राविधानों का क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

सलंगनक: यथोपरि।

भवदीय,

Prumal

(प्रदीप कुमार)

महाप्रबन्धक (औ0सं0)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0 / उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ।
3. महानिदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य अभियंता (वितरण क्षेत्र), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
5. क्षेत्रीय निदेशक, आर0डी0एस0डी0ई0, एन0एस0टी0आई0 कैम्पस, उद्योग नगर, कानपुर।
6. निदेशक, शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), 16/1 ए, लखनपुर, कानपुर, उ0प्र0।
7. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0 लखनऊ।
8. उप शिक्षुता परामर्शदाता एवं प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियंता, वेब, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

कार्यालय उप शिक्षता परामर्शदाता एवं प्रधानाचार्य

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

अलीगंज लखनऊ।

पत्रांक शिशिक्षु/प्रशिक्षण/संशोधित मानदेय/2025/2205

लखनऊ दिनांक 29 अक्टूबर 2025

सौदा में,

समस्त नियोजक

जनपद लखनऊ,

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक भारत का राजपत्र संख्या 566 नई दिल्ली सोमवार सितम्बर 8, 2025 कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय अधिरूचना नई दिल्ली 3 सितम्बर 2025 के द्वारा शिशिक्षुओं को भुगतान किये जाने वाले मानदेय की दरों को संशोधित करते हुए निम्नलिखित सारणी के अनुसार कर दिया गया है।

सारणी

क्र०सं०	कोटि	निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका की रकम
(1)	(2)	(3)
1.	स्कूल उत्तीर्ण (कक्षा 5वीं-कक्षा 9वीं)	रु० 6800 प्रति मास
2.	स्कूल उत्तीर्ण (कक्षा 10वीं)	रु० 8200 प्रति मास
3.	स्कूल उत्तीर्ण (कक्षा 12वीं)	रु० 9600 प्रति मास
4.	राष्ट्रीय या राज्य प्रमाणपत्र धारक	रु० 9600 प्रति मास
5.	तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षु या व्यावसायिक प्रमाणपत्र धारक या मध्यवर्ती पाठ्यक्रम (डिप्लोमा संस्थानों के छात्र)	रु० 9600 प्रति मास
6.	तकनीशियन शिक्षु या किसी भी शाखा में डिप्लोमा धारक या मध्यवर्ती पाठ्यक्रम (डिग्री संस्थानों के छात्र)	रु० 10900 प्रति मास
7.	स्नातक शिक्षु या डिग्री शिक्षु या किसी भी शाखा में	रु० 12300 प्रति मास।

अतः आपसे अनुरोध है, कि राजपत्र संख्या 566 नई दिल्ली सोमवार सितम्बर 8, 2025 कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय अधिरूचना नई दिल्ली 3 सितम्बर 2025 के द्वारा उपरोक्त सारणी के क्रम संख्या 3 में अंकित संशोधित मानदेय की दरें भुगतान करने का कष्ट करें।

सलग्नक- उपरोक्त राजपत्र की छायाप्रति।

भवदीय

(राजकुमार यादव)

उप शिक्षता

परामर्शदाता एवं प्रधानाचार्य

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी/अध्यक्ष शिशिक्षु प्रशिक्षण समिति लखनऊ को उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

स/प
रु० दे० मालु दिवानी
पुस्तक माला
Prumal
31/10/25

Bo/Son
31/10/25

Putar on e-office/Smt. Nangsi

Prumal
31/10/25

(राजकुमार यादव)

उप शिक्षता

परामर्शदाता एवं प्रधानाचार्य

Clear put up.
So
Prashant Mangi
03/11/25

File No.: MSDE-1/3/2024-AT
(Computer No. 69444)
Government of India
Ministry of Skill Development & Entrepreneurship
Shastri Bhawan, New Delhi

Dated: 11th September, 2025

To

- 1) All Regional Central Apprenticeship Advisors (RDSDEs/ BoATS/ BoPT)
- 2) All State Apprenticeship Advisors
- 3) All Joint Apprenticeship Advisors

Subject: Gazette Notification on Apprenticeship (Amendment) Rules, 2025-Regarding

Sir/Madam,

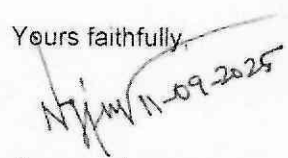
Please find enclosed a copy of the Gazette Notification (No. G.S.R. 610(E), dated 3rd September 2025) issued by this Ministry regarding amendments to the Apprenticeship Rules, 1992. The Rules comes in force effective from the date of publication of the Gazette notification ie. 11-09-2025.

- 2) It is requested to take note of the provisions contained in the notification and ensure necessary action and compliance within your jurisdiction.

This issues with the approval of the competent Authority.

Encl: As stated above

Yours faithfully,


(N. Ramesh Babu)
Director

Copy to:

- 1) PS to Hon'ble MoS, MSDE, New Delhi
- 2) Vice-Chairman, Central Apprenticeship Council
- 3) All members of Central Apprenticeship Council
- 4) Sr. PPS to Secretary, MSDE, New Delhi
- 5) PPS to JS(AT), MSDE, New Delhi
- 6) Director General, DGT, New Delhi
- 7) DDG Hqrs/ DDG (ER)/ DDG(SR), DGT
- 8) All State Principal Secretaries dealing with Skilling
- 9) All Employing Ministries/Departments / Central Public Sector Enterprises (CPSEs) / Central Public Sector Undertakings / State/UT Governments / State Public Sector Undertakings and private Industries including MSMEs
- 10) Industry Associations – CII, FICII, ASSOCHAM, PHD Chamber of Commerce and Industry, NASSCOM and others.
- 11) Economic Advisor, DPE, New Delhi – With a request to circulate the gazette notification to all the CPSEs
- 12) Director, TS-VII Section, Department of Higher Education, New Delhi
- 13) CEO, NSDC, New Delhi
- 14) Exec VP/ GM (dealing with Apprenticeship), New Delhi – Requested to upload this letter on the apprenticeship portal.
- 15) Guard file – 2025



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092025-266074
CG-DL-E-11092025-266074

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 566]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 2025/भाद्र 17, 1947

No. 566]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 2025/BHADRA 17, 1947

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 610(अ).— केंद्रीय सरकार, शिक्षता अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय शिक्षता परिषद से परामर्श करने के उपरांत शिक्षता नियम, 1992 में इसके आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षता (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शिक्षता नियम, 1992 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, -(i) उप-नियम (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "(1ख) 'डिग्री शिक्षता' से अभिप्राय किसी ऐसे पाठ्यक्रम से है जिसमें शिक्षता पाठ्यक्रम का कोई समेकित घटक है;"

(ii) उप-नियम (6क) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(6ख) 'संस्था' से अभिप्राय किसी ऐसे महाविद्यालय से है जो विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा अनुमोदित डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है;

(6ग) "क्षेत्रीय केंद्र" से अभिप्राय अधिनियम की शाखा 2 के उप-नियम (म्म) के अधीन निर्दिष्ट नगरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर स्थित क्षेत्रीय बोर्ड से है;"

(iii) उप-नियम (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:--

"(9क) 'शिक्षता कर्मचारी' कोई भी व्यक्ति है जिसे अनुबंध श्रमिक के रूप में नियोजित किया गया है, जैसा कि मजदूरी संहिता, 2019 (2019 की 29) की शाखा 2 के उप-नियम (ग) में परिभाषित किया गया है या प्रवृत्त कोई अन्य विधि;

(9ख) "मानकनिःशक्तता वाला व्यक्ति" से अभिप्राय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 की 49) की शाखा 2 के उप-नियम (र) में परिभाषित व्यक्ति से है;";

3. उक्त नियमों में, नियम 3में,--

(i) उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(2) कोई व्यक्ति स्नातक या डिग्री या तकनीशियन या तकनीशियन व्यावसायिक शिक्षु के रूप में नियोजित किए जाने के लिए तभी पात्र होगा जब वह अनुसूची 1क में निर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक योग्यताओं में से किसी एक को संतुष्ट करता है;";

(ii) उप-नियम (2) में, परंतुक में, उप-नियम (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(खक) कोई भी डिग्री शिक्षु, तकनीकी संस्था या संस्था की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् अधिनियम के अधीन शिक्षु के रूप में नियोजित किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा, जहाँ ऐसा छात्र पाठ्यक्रम ग्रहण कर रहा है, जब तक कि शिक्षता सलाहकार या क्षेत्रीय केंद्रीय शिक्षता सलाहकार द्वारा, जैसा भी मामला हो, ऐसा अनुमोदित न किया गया हो;";

4. उक्त नियमों में, नियम 5 में, उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(3) प्रत्येक व्यवसाय या विषय क्षेत्र के लिए, मानक निःशक्तता वाले व्यक्ति के लिए ऐसे व्यवसाय या विषय क्षेत्र की उपयुक्तता निर्दिष्ट की जाएगी और व्यवसाय या विषय क्षेत्र में मानक निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण स्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 की 49) के उपबंधों के अधीन आरक्षित किए जाएंगे और यदि मानक निःशक्तता वाले व्यक्तियों से प्रशिक्षण स्थान भरे नहीं जा सकते, तो ऐसे खाली पड़े प्रशिक्षण स्थान अनुसूची II में निर्दिष्ट न्यूनतम शारीरिक स्वस्थता मानकों वाले व्यक्तियों द्वारा भरे जा सकेंगे और उचित सरकार व्यवसायों या विषय क्षेत्रों के लिए मानक निःशक्तताओं के लिए आदेश जारी करेगी।"

5. उक्त नियमों में, नियम 6 में, उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(2) नियोक्ता का दायित्व और व्यापार शिक्षु का दायित्व अनुसूची-V में निर्दिष्ट किया जाएगा, और स्नातक, तकनीशियन, तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षुओं और डिग्री शिक्षु के संबंध में नियम और शर्तें अनुसूची VI में निर्दिष्ट की जाएंगी।"

6. उक्त नियमों में, नियम 7 में, उप-नियम (4) में, उप-नियम (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(ख) मध्यवर्ती पाठ्यक्रम और डिग्री शिक्षुताके छात्रों के मामले में, प्रायोगिक प्रशिक्षण की अवधि, जिसे वे शिक्षता पाठ्यक्रम के अंग के रूप में ग्रहण करते हैं, शिक्षता प्रशिक्षण की अवधि होगी।"

7. उक्त नियमों में, नियम 7क में,---

(i) उप-नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(5क) मानक निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण स्थान नियोक्ता द्वारा प्रत्येक वैकल्पिक व्यवसाय में नियम 5 के उप-नियम (3) के उपबंधों के अनुसार आरक्षित किए जाएंगे;";

(ii) उप-नियम (14) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(14) न्यूनतम तीन वर्ष की डिग्री धारक या 10वीं कक्षा के पश्चात् तीन वर्ष का डिप्लोमा धारक या 12वीं उत्तीर्ण के पश्चात् दो वर्ष का डिप्लोमा धारक या स्कूल शिक्षा के माध्यमिक स्तर पूरी करने के पश्चात् दो वर्ष के अध्ययन वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रमाणपत्र धारक प्रत्येक शिक्षु जो वैकल्पिक व्यवसाय में शिक्षुताप्रशिक्षण ग्रहण कर रहा है, अनुसूची VI में निर्दिष्ट स्नातक, तकनीशियन, तकनीशियन (व्यावसायिक) और डिग्री शिक्षुओं के लिए शिक्षता संविदा की नियमों और शर्तों का पालन करेगा।"

8. उक्त नियमों में, नियम 7ख में, उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(3) एक वित्तीय वर्ष के भीतर, प्रत्येक अधिष्ठान, संविदा कर्मचारियों सहित अधिष्ठान की कुल सशक्त बल का 2.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के दायरे में शिक्षुओं को नियोजित करेगा, बशर्ते कि न्यूनतम 5 प्रतिशत कुल स्थान नवीन शिक्षुओं और कौशल प्रमाणपत्र धारक शिक्षुओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे और यदि नवीन शिक्षु और कौशल प्रमाणपत्र धारक शिक्षु के लिए निर्धारित स्थान प्रशिक्षण के लिए भरे नहीं जा सकते, तो ऐसे खाली पड़े प्रशिक्षण स्थान शिक्षुता सलाहकार* की अनुमति से शिक्षुओं की अन्य श्रेणियों द्वारा भरे जा सकेंगे।"

9. उक्त नियमों में, नियम 7ग के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

7घ. प्रशिक्षणों के मध्य न्यूनतम अंतराल.- (1) दो शिक्षुता प्रशिक्षणों के मध्य न्यूनतम एक वर्ष का अंतराल होगा: बशर्ते कि पिछला प्रशिक्षण पूर्ण हो गया हो और ऐसे मामले में कोई अंतराल आवश्यक नहीं होगा जहां पिछला शिक्षुताप्रशिक्षण अधिनियम की शाखा 11 और नियम 6 के उप-नियम (2) के अधीन नियोक्ता के भाग में विफलता के कारण समाप्त किया गया हो।

(2) जहां किसी शिक्षु ने स्वास्थ्य या आर्थिक कठिनाई या स्थानांतरण, परिवहन या वृत्तिका परिवर्तन या भाषा अवरोध के कारण पिछला शिक्षुता संविदा समाप्त किया है, वहीं शिक्षु द्वारा समान नियोक्ता या किसी अन्य नियोक्ता के साथ शिक्षुताका एक अन्य संविदा करने से पहले तीन मास की प्रतीक्षा अवधि लागू होगी और महिलाओं के लिए कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं होगी।

(3) कोई व्यक्ति अधिकतम दो शिक्षुता प्रशिक्षण ग्रहण कर सकता है और दूसरा प्रशिक्षण समान व्यवसाय में नहीं होगा।

(4) केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला वृत्तिका का व्यय केवल प्रथम-बार प्रशिक्षण तक सीमित रहेगा।

(5) जहां शिक्षुता की संविदा शिक्षु के भाग में संविदा की शर्तों का पालन करने में विफलता के कारण समाप्त किया जाता है, वहां शिक्षु अधिनियम के अधीन किसी अन्य नियोक्ता के साथ शिक्षुता का एक अन्य संविदा करने का हकदार नहीं होगा।"

10. उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) शिक्षुओं को देय प्रति मासवृत्तिका की न्यूनतम दर पाठ्यक्रम में निर्धारित योग्यताओं के अनुसार होगी। शिक्षुओं को देय प्रति मासवृत्तिका की न्यूनतम दर निम्नलिखित होगी, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	कोटि	निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका की रकम
(1)	(2)	(3)
1.	स्कूल उत्तीर्ण (कक्षा 5वीं-- कक्षा 9वीं)	रु. 6,800 प्रति मास
2.	स्कूल उत्तीर्ण (कक्षा 10वीं)	रु. 8,200 प्रति मास
3.	स्कूल उत्तीर्ण (कक्षा 12वीं)	रु. 9,600 प्रति मास
4.	राष्ट्रीय या राज्य प्रमाणपत्र धारक	रु. 9,600 प्रति मास
5.	तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षु या व्यावसायिक प्रमाणपत्रधारक या मध्यवर्ती पाठ्यक्रम (डिप्लोमा संस्थानों के छात्र)	रु. 9,600 प्रति मास
6.	तकनीशियन शिक्षु या किसी भी शाखा में डिप्लोमा धारक या मध्यवर्ती पाठ्यक्रम (डिग्री संस्थानों के छात्र)	रु. 10,900 प्रति मास
7.	स्नातक शिक्षु या डिग्री शिक्षु या किसी भी शाखा में	रु. 12,300 प्रति मास।"

11. उक्त नियमों में, नियम 14 में,-

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) शिक्षु और नियोक्ता के मध्य अनुसूची III में निर्दिष्ट प्रारूप-1 के अनुसार किया गया शिक्षुता का संविदा पंजीकरण हेतु नियोक्ता द्वारा पोर्टल साइट पर अग्रेषित किया जाएगा और डिग्री शिक्षु और मध्यवर्ती पाठ्यक्रम छात्र के लिए, प्रारूप-1 के अनुसार संविदा संस्थान, शिक्षु और नियोक्ता के मध्य की जाएगी और पंजीकरण हेतु नियोक्ता द्वारा पोर्टल-साइट पर अग्रेषित किया जाएगा।";

(ii) उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(4) प्रत्येक नियोक्ता अपने अधिष्ठान में नियोजित डिग्री, स्नातक, तकनीशियन और तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षुओं द्वारा किए गए कार्य और ग्रहण किए गए प्रशिक्षण का प्रत्येक तिमाही के लिए रिकॉर्ड रखेगा और प्रत्येक तिमाही के अंत में अनुसूची III में निर्दिष्ट फॉर्म शिक्षुता 3 में एक रिपोर्ट संबंधित उप क्षेत्रीय केंद्रीय शिक्षुता सलाहकार को या जैसा भी मामला हो, भेजेगा।”

12. उक्त नियमों में, अनुसूची-1क में, अनुक्रमांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"4. डिग्री शिक्षु	"4. यथा विहित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है।"
-------------------	---

13. उक्त नियमों में, अनुसूची-III में, प्रारूप-1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रारूप-1 प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्रारूप-1

वयस्क या अवयस्क शिक्षुओं के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण की आदर्श संविदा

I. शिक्षु के मूल विवरण

1. शिक्षु का नाम:

शिक्षु का फोटो

2. पिता/ माता/ पति या पत्नी का नाम:

3. विधिक संरक्षक का नाम *(अवयस्क के मामले में):

*अवयस्क शिक्षु वह है जिसने शिक्षु की आयु के 18 वर्ष पूरे नहीं किए हैं

4. लिंग: महिला/ पुरुष/ अन्य

5. जन्म तिथि: दिन/मास/वर्ष

6. उच्चतम शैक्षिक योग्यता:

7. क्या दिव्यांगजन से संबंधित है*(हाँ/नहीं)*

8.(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक से संबंधित है*(हाँ/नहीं)*

(ख). कोटि का नाम

9. शिक्षु का आधार नंबर:

10. संविदा पंजीकरण संख्या:

11. पता:

12. मोबाइल नंबर:

13. ईमेल:

II. शिक्षु के शैक्षिक विवरण

14. पाठ्यक्रम/ व्यवसाय/ डिप्लोमा/ डिग्री का नाम:

15. संस्था का नाम और पता:

16. पंजीकरण/ नामांकन संख्या: 17. पूर्णता की स्थिति: *(पूर्ण/अध्ययनरत)*

18. उत्तीर्ण होने/ अपेक्षित पूर्णता का मास और वर्ष: *मास/वर्ष*

III. अधिष्ठान के विवरण

19. अधिष्ठान का पंजीकृत नाम और पता:

20. संपर्क व्यक्ति: 21. संपर्क नंबर: 22. ईमेल:

23. (क) क्या अधिष्ठान किसी सरकारी योजना के अधीन लाभों के लिए चयन कर रहा है *हाँ/नहीं*

(ख) यदि हाँ, योजना का नाम:

IV. संस्था विवरण (केवल मध्यवर्ती पाठ्यक्रम / डिग्री शिक्षुओं के लिए लागू)

24. संस्था संपर्क व्यक्ति:

25. संपर्क नंबर:

26. ईमेल:

27. (क) क्या संस्था किसी सरकारी योजना के अधीन लाभों के लिए चयन कर रहा है: हाँ/नहीं

(ख) यदि हाँ, योजना का नाम:

V. शिक्षुताप्रशिक्षण विवरण

28. व्यवसाय/पाठ्यक्रम का नाम:

29. व्यवसाय/पाठ्यक्रम कोड:

30. शिक्षु क्रमांक:

31. प्रशिक्षण अवधि:

32. प्रशिक्षण प्रारंभ करने की तारीख: "दिन/मास/वर्ष"

33. प्रशिक्षण समाप्ति की तारीख: "दिन/मास/वर्ष"

34. के रूप में नामांकित: (शिक्षु की अनुप्रयोज्यकोटि)

35. शिक्षुताप्रशिक्षण स्थान/अधिष्ठान का नाम और पता:

36. बेसिक प्रशिक्षण विवरण (यदि लागू हो):

(क) बेसिक प्रशिक्षण प्रदाता का नाम:

(ख) प्रशिक्षण केंद्र का नाम और पता:

(ग) संपर्क नंबर:

(घ) (i) प्रारंभ करने की तारीख: "दिन/मास/वर्ष" समाप्ति की तारीख: "दिन/मास/वर्ष"

(ii) प्रारंभ करने की तारीख: "दिन/मास/वर्ष" समाप्ति की तारीख: "दिन/मास/वर्ष"

VI. वृत्तिका विवरण

37.

वर्ष	अधिष्ठान का अंश	सरकारी अंश	कुल मासिक वृत्तिका
प्रथम			
द्वितीय			
तृतीय			

टिप्पण: मासिक वृत्तिका का सरकारी अंश, यदि कोई हो, संबंधित अधिष्ठान द्वारा लागू योजना दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट प्रासंगिक नियमों और शर्तों के पूर्ण होने पर सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से शिक्षु के बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा और ऐसी नियमों और शर्तों के पूर्ण न होने की स्थिति में, अधिष्ठान पूर्ण मासिक वृत्तिका राशि का भुगतान शिक्षु को करने के लिए उत्तरदायी होगा।

VII. अतिरिक्त सूचना

38. क्या निम्नलिखित लागू हैं:

(क) मध्यवर्ती पाठ्यक्रम/एईडीपी: (हाँ/नहीं)

(ख) दूरस्थ कार्य: (हाँ/नहीं)

(ग) समुद्रपार में अन्तःकार्यप्रशिक्षण: (हाँ/नहीं)

(घ) नियोक्ता/ संस्था की ओर से कार्य करने वाली कोई प्राधिकृत अभिकरण (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, अभिकरण का नाम

VIII. घोषणा

39. हम, नियोक्ता, शिक्षु/ संरक्षक और संस्थान, सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषित करते हैं कि हमने शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) और दायित्वों सहित शिक्षुता प्रशिक्षण संविदा के संबंध में शिक्षुता नियम, 1992 को पढ़ लिया है और उनके अधीन किए गए सभी उपबंधों का पालन करने के लिए सहमत हैं। नियोक्ता, शिक्षु/संरक्षक और संस्था में से किसी के भी द्वारा चूक की स्थिति में, हम शिक्षुता नियम, 1992 के उपबंधों के अनुसार दूसरे पक्ष को प्रतिकर करने के लिए सहमत हैं (शिक्षुता प्रशिक्षण संविदा के परिशिष्ट, खंड IX में शिक्षुता नियमों के मुख्य प्रावधान देखे जा सकते हैं)।

नियोक्ता के हस्ताक्षर

शिक्षु के हस्ताक्षर

संस्था के हस्ताक्षर

(केवल मध्यवर्ती पाठ्यक्रम/
डिग्री शिक्षुओं के लिए लागू)

संरक्षक के हस्ताक्षर*

अवयस्क शिक्षुओं के मामले में

IX. संविदा अनुमोदन और शिक्षुता सलाहकार विवरण

40. संविदा पंजीकरण की तारीख: *दिन/मास/वर्ष*

41. शिक्षुता सलाहकार का नाम और पता:

42. संविदा निष्पादन की तारीख को शिक्षु की आयु:

43. संपर्क नंबर:

44. ईमेल:

पंजीकरण प्राधिकारी के
हस्ताक्षर और मुहर
(शिक्षुता सलाहकार)

X. शिक्षुता प्रशिक्षण संविदा का अनुलग्नक

शिक्षुता प्रशिक्षण संविदा से संबंधित शिक्षुता नियमों के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:---

(1) शिक्षुओं को देय प्रति मास वृत्तिका की न्यूनतम दर पाठ्यक्रम में निर्धारित योग्यताओं के अनुसार होगी और शिक्षुओं को देय प्रति मास वृत्तिका की न्यूनतम दर नियम 11 के उप-नियम(1) के अधीन सारणी में निर्दिष्ट की जाएगी।

(2) वर्तमान में, विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित न्यूनतम मासिक वृत्तिका राशि नीचे दी गई सारणी में निर्दिष्ट है, अर्थात्:---

सारणी

क्र. सं.	कोटि	निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका की रकम
(1)	(2)	(3)
1.	स्कूल उत्तीर्ण (कक्षा 5वीं-- कक्षा 9वीं)	रु. 6,800 प्रति मास
2.	स्कूल उत्तीर्ण (कक्षा 10वीं)	रु. 8,200 प्रति मास

3.	स्कूल उत्तीर्ण (कक्षा 12वीं)	रु. 9,600 प्रति मास
4.	राष्ट्रीय या राज्य प्रमाणपत्र धारक	रु. 9,600 प्रति मास
5.	तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षु या व्यावसायिक प्रमाणपत्रधारक या मध्यवर्ती पाठ्यक्रम (डिप्लोमा संस्थानों के छात्र)	रु. 9,600 प्रति मास
6.	तकनीशियन शिक्षु या किसी भी शाखा में डिप्लोमा धारक यामध्यवर्ती पाठ्यक्रम (डिग्री संस्थानों के छात्र)	रु. 10,900 प्रति मास
7.	स्नातक शिक्षु या डिग्री शिक्षु या किसी भी शाखा में	रु. 12,300 प्रति मास।”।

मासिक वृत्तिका का सरकारी अंश, यदि कोई हो, संबंधित अधिष्ठान द्वारा लागू योजना दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट प्रासंगिक नियमों और शर्तों के पूर्ण होने पर सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से शिक्षु के बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा और ऐसी नियमों और शर्तों के पूर्ण न होने की स्थिति में, अधिष्ठान पूर्ण मासिक वृत्तिका राशि का भुगतान शिक्षु को करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) शिक्षुता प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष के दौरान, निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका राशि में दस प्रतिशत की वृद्धि होगी और शिक्षुता प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष के दौरान निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका राशि में और 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

(4) शिक्षु, आचरण और अनुशासन और सुरक्षा के सभी मामलों में अधिष्ठान के नियमों और विनियमों का पालन करेगा और अधिष्ठान में नियोक्ता और वरिष्ठों के सभी वैध आदेशों का पालन करेगा।

(5) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अध्याय III, IV और V के प्रावधान, शिक्षुओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के संबंध में लागू होंगे मानो वे उस अधिनियम के अर्थ के भीतर कर्मचारी हों और जब कोई शिक्षु किसी खान में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हों, वहां खान अधिनियम, 1953 (1952 का 35) के अध्याय V के प्रावधान शिक्षुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में लागू होंगे मानो वे खान में नियोजित हों।

(6) कार्यस्थान में प्रायोगिक प्रशिक्षण ग्रहण करने के दौरान एक शिक्षु के दैनिक और साप्ताहिक कार्य घंटे नियोक्ता द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, बशर्ते कि प्रशिक्षण अवधि, यदि निर्धारित है, का अनुपालन किया जाए और शिक्षु ऐसी छुट्टियों और अवकाशों का हकदार होगा जैसा कि उस अधिष्ठान में मनाया जाता है जिसमें वह प्रशिक्षण ग्रहण कर रहा है।

(7) यदि किसी शिक्षु को उसके शिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के दौरान और उससे उत्पन्न दुर्घटना के कारण व्यक्तिगत चोट लगती है, तो उसका नियोक्ता प्रतिकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसे निर्धारित और भुगतान किया जाएगा, जहाँ तक संभव हो, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के उपबंधों के अनुसार।

(8) शिक्षु उन नियमों और विनियमों (संगत कोटि के कर्मचारियों पर लागू) के अधीन होगा जिस अधिष्ठान में शिक्षु प्रशिक्षण ग्रहण कर रहा है।

(9) अधिष्ठान में शिक्षुता प्रशिक्षण ग्रहण करने वाला प्रत्येक शिक्षु एक प्रशिक्षु होगा न कि श्रमिक और इस प्रकार श्रम के संबंध में किसी भी विधि के प्रावधान ऐसे शिक्षु पर लागू नहीं होंगे या उससे संबंधित नहीं होंगे।

(10) नियोक्ता अपने अधिष्ठान में अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार शिक्षु को शिक्षुता प्रशिक्षण का एक पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए केंद्रीय या राज्य शिक्षुता सलाहकार की अनुमति से उपयुक्त व्यवस्था करेगा।

(11) नियोक्ता के लिए यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह अपने अधिष्ठान में शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि पूरी होने पर शिक्षु को कोई रोजगार प्रदान करे।

(12) किसी विशेष मास के लिए वृत्तिका का भुगतान अगले मास की दसवीं तारीख को या उससे पहले किया जाएगा।

(13) वृत्तिका में से उस अवधि के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी जिसके दौरान कोई शिक्षु आकस्मिक छुट्टी या चिकित्सकीय छुट्टी पर रहता है और शिक्षुता पोर्टल पर वृत्तिका भुगतान माँझूल के लिए अधिष्ठान को मास के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को देय अनधिकृत छुट्टियों और वृत्तिका राशि को अद्यतन करने की आवश्यकता होगी।

(14) जहाँ शिक्षुता की संविदा किसी नियोक्ता के भाग में उसकी नियमों और शर्तों का पालन करने में विफलता के माध्यम से समाप्त किया जाता है, वहाँ ऐसा नियोक्ता इन नियमों के अधीन शिक्षु को प्रतिकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(15) प्रत्येक शिक्षु के शिक्षुता प्रशिक्षण में प्रगति का आकलन नियोक्ता द्वारा समय-समय पर किया जाएगा और प्रत्येक शिक्षु जो नियोक्ता की संतुष्टि पर अपना शिक्षुता प्रशिक्षण पूरा करता है, उसे उस नियोक्ता द्वारा दक्षता प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा जो संबंधित पुरस्कार देने वाली संस्था द्वारा आगे के आकलन या प्रमाणन का आधार होगा।

(16) डिग्री शिक्षुता की शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात्:-

(i) नियोक्ता संविदा के अनुसार और अधिनियम के समग्र उपबंधों के अधीन अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करेगा;

(ii) अकादमिक संस्था उद्योग भागीदार या नियोक्ता के साथ साझेदारी में किए गए शिक्षुता घटक के प्रबंधन सहित अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करेगा;

(iii) पोर्टल पर शिक्षुता संविदाओं और अन्य संबंधित अनुपालन का मानचित्रण और रिपोर्टिंग शैक्षणिक संस्था या उसकी ओर से कार्य करने वाली कोई प्राधिकृत अभिकरण के साथ निहित होगा;

(iv) नियोक्ता शिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के मध्य निर्धारित शैक्षणिक सत्रों में भाग लेने की अनुमति देगा, चाहे वह अन्तःकार्य प्रशिक्षण परिसर में हो या शैक्षणिक संस्था परिसर में, जैसा भी मामला हो।

(17) शिक्षुता प्रोत्साहन के लिए किसी अनुप्रयोज्य सरकारी योजना के मामले में, अधिष्ठान या शिक्षु या संरक्षक (अवयस्क शिक्षु के मामले में) यह वारंट और पुष्टि करते हैं कि उन्होंने उनसे संबंधित योजना दिशा-निर्देशों का अध्ययन किया है, समझा है और उनका पालन करने के लिए सहमत हैं, और इन दिशा-निर्देशों को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाएगा और समय-समय पर अद्यतन किया जा सकता है।";

14. उक्त नियमों में, अनुसूची-IV में, पैरा 2 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"2. डिग्री और स्नातक शिक्षुओं के मामले में:

अध्ययन या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी के उचित शाखा में डिग्री धारक होना चाहिए या भारत सरकार या अखिल भारतीय परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता।"

15. उक्त नियमों में, अनुसूची-V में, पैरा 1 के अंतर्गत, नियोक्ता के दायित्वों (वयस्क और अवयस्क दोनों व्यापार शिक्षुओं के मामले में) से संबंधित,---

(i) उप-पैरा (2) में, उप-नियम (क) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) नियोक्ता बेसिक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम या प्रायोगिक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम या दोनों को ऑनलाइन या आभासी या इलेक्ट्रॉनिक या मिश्रित मोड के माध्यम से प्रदान करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेगा, केन्द्रीय शिक्षुता परिषद के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार निर्दिष्ट व्यवसाय के लिए और वैकल्पिक व्यवसाय के लिए, पाठ्यक्रम राष्ट्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। नियोक्ता शिक्षुओं को ऐसे प्रशिक्षण में केवल सुबह 8.00 बजे से शाम 6.00 बजे के बीच नियोजित करेगा और इस समय में किसी भी छूट के लिए शिक्षुता सलाहकार द्वारा, मामला-दर-मामला के आधार पर, अनुमोदित किया जाएगा, अधिनियम की शाखा 15 के अधीन प्रदान किए गए कार्य के घंटे, अतिरिक्त समय, छुट्टियाँ और अवकाश";

(ii) उप-पैरा (5) में, उप-नियम (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) एक अधिष्ठान प्रायोगिक प्रशिक्षण अवधि के दौरान केवल एक वयस्क शिक्षु को देश के भीतर या विदेशों में किसी ग्राहक की अवस्थिति (प्रायोगिक प्रशिक्षण के कार्यस्थान के अतिरिक्त) में तैनात कर सकता है और कोई अवयस्क शिक्षु तैनात नहीं किया जाएगा: बशर्ते कि अधिष्ठान शिक्षु को अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान करेगा ---

(i) देश के भीतर किसी ग्राहक की अवस्थिति के लिए, निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका राशि के अतिरिक्त नियम 11 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान करेगा और अतिरिक्त प्रतिकर तैनाती की ऐसी अवधि के लिए न्यूनतम निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका राशि, आना-जाना यात्रा लागत, आवास, भोजन, अस्पताल में भर्ती होने की लागत और बीमा होगी।

(ii) विदेशों में किसी ग्राहक की अवस्थिति के लिए, निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका राशि के अतिरिक्त नियम 11 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट न्यूनतम निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका राशि के कम से कम दोगुनी अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान करेगा और

अधिष्ठान वीजा, यात्रा, चिकित्सा परीक्षण, अस्पताल में भर्ती, बीमा, आना-जाना यात्रा लागत, रहने और भोजन की लागत वहन करेगा;

(iii) अधिष्ठान द्वारा किसी भी उल्लंघन का निपटान संबंधित देश के स्थानीय श्रम कार्यालय द्वारा किया जाएगा;

(iv) शिक्षुता सलाहकार देश के भीतर या विदेशों में शिक्षु की तैनाती को मामला-दर-मामला के आधार पर अनुमोदित करेगा;

(v) नियोक्ता अकेले ग्राहक की अवस्थिति में प्रशिक्षण की अवधि के लिए शिक्षु को वृत्तिका का भुगतान करेगा और वृत्तिका की कोई लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन नहीं की जाएगी।"

16. उक्त नियमों में, अनुसूची- VI में,--

(i) शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्नातक, तकनीशियन, तकनीशियन (व्यावसायिक) और डिग्री शिक्षुओं के लिए शिक्षुताअनुबंध की नियम और शर्तें";

(ii) पैरा (5) में, उप-पैरा (i) और (ii) में, "क्षेत्रीय केंद्रीय शिक्षुता सलाहकार" शब्दों के पश्चात्, क्रमशः "या शिक्षुता सलाहकार" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(iii) पैरा (6) में, उप-पैरा (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(i) एक स्नातक, तकनीशियन, तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षु और डिग्री शिक्षु उस अधिष्ठान विभाग के सामान्य कार्य घंटों के अनुसार कार्य करेगा जिसमें वह प्रशिक्षण के लिए संलग्न है।";

(iv) पैरा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(7) संस्था की जिम्मेदारी निम्नलिखित होगी, अर्थात्:-

(i) शिक्षु और नियोक्ता के मध्य एक शिक्षुताअनुबंध करना;

(ii) पोर्टल साइट पर संबंधित अनुपालन सुनिश्चित करना;

(iii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार या जैसा भी मामला हो, प्रबंधन, अनुवीक्षण और मूल्यांकन;

(iv) संबंधित शिक्षुता सलाहकार को अधिष्ठान की किसी भी यात्रा के बारे में सूचित रखना।"

[फा. सं. एमएसडीई-1/3/2024-एटी]

श्रीशैल माल्गे, संयुक्त सचिव

टिप्पण: शिक्षुता नियम, 1992, तारीख 15 जुलाई, 1992 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 356 द्वारा तारीख 1 अगस्त, 1992 भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तारीख 19 अप्रैल, 2024 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 254(अ) द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2025

G.S.R. 610(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), after consulting the Central Apprenticeship Council, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely: —



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

निगम निदेश
6/8/22

संख्या-3036-औ०सं०/2022-4(6)अप्र०/78

दिनांक: 06 अगस्त, 2022

प्रबन्ध निदेशक,

मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल

स्पीड-पोस्ट / ई-मेल

विद्युत वितरण निगम लि०, एवं केस्को,

लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ एवं कानपुर।

विषय:-शिक्षा अधिनियम 1961 के अन्तर्गत शिक्षुओं की वृत्तिका (Stipend) दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के पत्र सं०-1259-औ०सं०/2021-4(6)अप्र०/78 दिनांक 13.05.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शिक्षुता नियम-1992 के नियमों (यथा संशोधित) का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

इस सम्बन्ध में निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्र सं०-149/टी-5/शि०/प्र०प०/2270/ज०सू०/2016, दिनांक 11 जुलाई, 2022 एवं नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ का पत्रांक-शि०/प्रशि०/2022/1618 दिनांक 19.07.2022 द्वारा अवगत कराया है कि कारपोरेशन के कतिपय खण्डों में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं०-561 दिनांक 25.09.2019 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

उक्त के सम्बन्ध में पुनः अवगत कराना है कि आई०टी०आई० उत्तीर्ण शिक्षुओं की वृत्तिका कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं०-561 दिनांक 25.09.2019 के क्रम में उप शिक्षुता परामर्शदाता एवं प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ, के पत्रांक-शि०/प्रशि०/नि०/2021/328 दिनांक 01.04.2021 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा निम्नवत् मानदेय अनुमन्य किया गया है:-

क्र०सं०	व्यवसाय	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण अवधि में छूट	प्रशिक्षण अवधि में छूट के उपरान्त प्रशिक्षण अवधि	छूट के उपरान्त भुगतान किये जाने वाला मानदेय
1	2	3	4	5	6
1	Electrician	Two Years	One Years	One Years	7000+7000x10% =7700
2	Lineman	Two Years	One Years	One Years	7000+7000x10% =7700

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं०-561, दिनांक 25.09.2019 के क्रम में शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर के माध्यम से प्राप्त अभियंत्रण/सामान्य स्नातक शिक्षुओं, डिप्लोमाधारी तकनीशियन शिक्षुओं एवं तकनीकी व्यावसायिक शिक्षुओं (सेण्डविच पाठ्यक्रम) को

पत्र संख्या- BT/AA/Revised Stipend/2021/940 दिनांक 28.12.2021 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा वृत्तिका की दरें पुनरीक्षित की गयी है।

अतः उक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं०-561 दिनांक 25.09.2019 एवं शिक्षता नियम-1992 (यथा संशोधित) का क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

(मृगांक शेखर दाश भट्टमिश्र)
निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

सं०-3036-(1)-म०प्र० (औ०सं०)/2022 तददिनांक:-

१६

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ।
2. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. महानिदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर लखनऊ।
4. समस्त मुख्य अभियंता (वितरण क्षेत्र), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
5. क्षेत्रीय निदेशक, आर०डी०एस०डी०ई०, एन०एस०टी०आई० कैम्पस, उद्योग नगर, कानपुर।
6. निदेशक, शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), 16/1ए, लखनपुर, कानपुर, उ०प्र०।
7. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ०प्र० लखनऊ।
8. नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

(प्रदीप कुमार)

उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)

१०४४